


129

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर,
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)



301-

III/निग0/रीवा/2017/2742

- 1- सौखीलाल तिवारी तनय शंकरषण तिवारी
- 2- सम्पत लोहार तनय गयादीन लोहार
- 3- गौरीशंकर तनय सम्पत लोहार
- 4- कमलेश पिता सम्पत लोहार

श्रीमान् श्री राजेश कुमार
किशन दास पंचा
21.8.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट रीवा)

सभी निवासी ग्राम पुरास, तह0 गुढ जिला रीवा म0प्र0

-----आवेदक/निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1- संदीप तिवारी तनय बृहस्पत प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पुरास,
तह0 गुढ जिला रीवा म0प्र0
- 2- विष्णु तिवारी तनय रिपुदमन तिवारी निवासी ग्राम पुरास तह0
गुढ जिला रीवा (म0प्र0)
- 3- म0प्र0 शासन

-----गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व
निरीक्षक मण्डल गुढ, तह0 गुढ,
जिला रीवा (म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक

14-अ-12/2016-17 आदेश दिनांक

22.06.2017


राजेश कुमार
21/8/17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०III/निग०/रीवा/भू-रा०/2017/2742

जिला-रीवा

सौखीलाल/संदीप तिवारी

(1)	(2)	(3)
14.03.18	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	